रजिस्ट्री सं० डी० 221 REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 132] नई दिल्ली, शनिवार, जुलाई 31, 1971/श्रावण 9, 1893

No. 132] NEW DELHI, SATURDAY, JULY 31, 1971/SRAVANA 9, 1893

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue and Insurance)

NOTIFICATION

CENTRAL EXCISES

New Delhi, the 31st July 1971

G.S.R. 1140.—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944; the Central Government hereby exempts pressure cookers, falling under Item No. 54 of the First Schedule to the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944), from so much of the duty of excise leviable thereon as is in excess of ten per cent *ad valorem*.

[No. 160/71.]

R. JAYARAMAN, Under Secy.

वित्त मंत्रालय

(राजस्व और बीमा विभाग)

अधिसूचना

केन्द्रीय उत्पादन शुल्क

नई दिल्ली, 31 जुलाई, 1971

सा०का०नि० 1140.—केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 के उपनियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और नमक अधिनियम 1944 (1944 का 1) की प्रथम अनुसूची की मद सं० 54 के अन्तर्गत आने वाले

प्रेशर कुकर को उस पर उद्ग्रहणीय शुल्क से एतद्द्वारा छूट देती है जितना दस प्रतिशत मूल्यानुसार से अधिक हो ।

[सं० 160/71]

आर० जगन्नाथन, अवर सचिव ।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1971